

**अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना**

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रॉ) / गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बंधकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 07.04.2022 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगंज, फैजाबाद में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 08.04.2022 को खोली जाएगी।

क्र.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/अधिसूचना तिथि/अधिसूचना प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य (रु०)
शाखा: केदार नगर शाखा, मो0- 8874206466					
1.	मेसर्स ओम प्रकाश वर्मा प्रो. ओम प्रकाश वर्मा पुत्र दयाराम/जियाराम वर्मा पुत्र स्वर्गीय हिमाचल उर्फ राम हिमाचल	प्लॉट सं. 278 एम का सम्पत्ति बंधक, सेल डीड सं. 1614/2012, दिनांक 11.07.2012, क्षेत्रफल 0.177 हेक्टेयर स्थित ग्राम- निनावां पोस्ट दिहवा दौलतपुर, परगना-टांडा, तहसील-टांडा, जिला- अंबेडकरनगर, मालिक- जियाराम वर्मा पुत्र स्वर्गीय हिमाचल उर्फ राम हिमाचल, चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: जिया राम वर्मा का प्लॉट, पश्चिम: अनिल कुमार का प्लॉट, उत्तर: प्रस्तावित रास्ता (कच्चा) उसके बाद दीप कुमार, दक्षिण: नाली एवं उसके बाद देवी प्रसाद का प्लॉट	06.11.2019 23.09.2020 सांकेतिक कब्जा	रु. 9,82,327 / - + दिनांक 29.03.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	32,54,650.00 3,25,465.00
2.	मेसर्स मिश्रा ट्रेडर्स प्रो. सुमन मिश्रा पत्नी गौतम प्रकाश मिश्रा/सुमन मिश्रा प्रकाश मिश्रा	प्लॉट सं. 787 एम का सम्पत्ति बंधक, सेल डीड सं. 1851/1994, दिनांक 15.07.1994, क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर स्थित ग्राम व पोस्ट भरिदेहा, परगना-टांडा, तहसील-टांडा, जिला- अंबेडकरनगर, मालिक- सुमन मिश्रा पत्नी गौतम प्रकाश मिश्रा, चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: राम चेत मौर्य का प्लॉट, पश्चिम: चक मार्ग का प्लॉट एवं उसके बाद राम भरोसे का प्लॉट, उत्तर: राज देव का प्लॉट, दक्षिण: गौतम मिश्रा का प्लॉट	13.11.2019 24.11.2020 सांकेतिक कब्जा	रु. 3,91,464 / - + दिनांक 31.12.2018 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	12,28,000.00 1,22,800.00
शाखा: आरबीएन गोसाईगंज, मो0- 8874206429					
3.	मेसर्स बजरंग मोबाइल सेन्टर, प्रो. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार / श्रीमती शशिकला उर्फ पिंकी देवी पत्नी श्री प्रमोद कुमार एवं श्रीमती अन्नू देवी पत्नी श्री वृजेश कुमार	संपत्ति / भूमि के साम्यिक बंधक, प्लॉट संख्या 12, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सेल डीड संख्या 2108, दिनांक-28.04.2011, स्थित ग्राम देवगिरिया, परगना-अम्बिन, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या, मालिक- श्रीमती शशिकला उर्फ पिंकी देवी पत्नी श्री प्रमोद कुमार एवं श्रीमती अन्नू देवी पत्नी श्री वृजेश कुमार, चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम: शिव प्रसाद सिंह का प्लॉट, उत्तर: चक मार्ग, दक्षिण: श्रीमती सुभावती का प्लॉट	02.08.2021 20.01.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 3,45,802.74 + दिनांक 18.04.2021 से ब्याज + अन्य शुल्क (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	6,05,250.00 60,525.00
शाखा: मोहम्मदपुर हमजा, मो0- 8874206474					
4.	श्री केशव राम पुत्र राम लाल / श्री केशव राम पुत्र राम लाल	सम्पत्ति बंधक प्लॉट सं. 1605 एम, ग्राम- रूकुनपुर कासिम, पोस्ट-रूकुनपुर कासिम, परगना-सुरहुपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, श्री केशव राम पुत्र राम लाल के नाम, क्षेत्रफल- 1 बिस्वा 10 धूर, चौहददी: पूर्व- राम जगत का प्लॉट, पश्चिम- नहर की पटरी, उत्तर- हृदयनाथ का प्लॉट, दक्षिण- राजदेव की प्लॉट भूमि (कुल क्षेत्रफल: 450 वर्ग फीट)	20.01.2021 01.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 8,67,820 / - + दिनांक 20.01.2021 से ब्याज + अन्य शुल्क (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	12,65,650.00 1,26,565.00
5.	मेसर्स द्विवेदी मिनी राइस मिल प्रोप. श्री हरिराम द्विवेदी पुत्र श्री मनीराम द्विवेदी / श्री मनीराम पुत्र श्री मूलचंद्र	सम्पत्ति बंधक प्लॉट सं. 309एम, ग्राम- गुआपाकर, पोस्ट-परुडिया आश्रम, परगना-सुरहुपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, श्री मनीराम पुत्र श्री मूलचंद्र के नाम, क्षेत्रफल- 3 बिस्वा, चौहददी: पूर्व- सोहन पुत्र बेंचू का प्लॉट पश्चिम- रास्ता, उत्तर- सोहन का प्लॉट, दक्षिण- सोहन पुत्र बेंचू का प्लॉट	17.02.2021 01.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 5,31,616 / - + दिनांक 17.02.2021 से ब्याज + अन्य शुल्क (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	11,73,000.00 1,17,300.00

सम्पर्क नं.: 8874207282, 8874206413

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के पापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निर्दिष्ट करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बताये प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली करम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप - धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 2:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesnotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ऑ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनके वसूल किया जाएगा।

दिनांक 09.03.2022 स्थान - अयोध्या

प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, फैजाबाद/अयोध्या